

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली।
पत्रांक 3044 / 14-1, बरेली, दिनांक, 22 जनवरी, 2021।

सेवा में,

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
वन एवं वन्य जीव, बरेली वृत्त, बरेली।

विषय:-

जनपद बरेली में बरेली-शाहजहाँपुर मार्ग, एन0एच0-30 (पुराना एन0एच0-24), किमी0 267-268 के मध्य चैनैज 267.640, ग्राम गौसगंज सराय, तहसील फरीदपुर पर नियोजित स्टार रियेल्टी प्रा0 लि0 एवं रोहिलखण्ड प्रोजेक्टस प्रा0 लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे आवासीय कॉलोनी ओम रेसिडेन्सी के सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 0.4368 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 53 वृक्षों के कार्योपरान्त (Ex-Post Facto) अनुमति सम्बन्धी प्रस्ताव।
(Online Proposal No. FP/UP/Others/26336/2017)

महोदय,

नियोजित स्टार रियेल्टी प्रा0 लि0 एवं रोहिलखण्ड प्रोजेक्टस प्रा0 लि0 के स्तर से जनपद बरेली में बरेली-शाहजहाँपुर मार्ग, एन0एच0-30 (पुराना एन0एच0-24), किमी0 267-268 के मध्य चैनैज 267.640, ग्राम गौसगंज सराय, तहसील फरीदपुर पर नियोजित स्टार रियेल्टी प्रा0 लि0 एवं रोहिलखण्ड प्रोजेक्टस प्रा0 लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे आवासीय कॉलोनी ओम रेसिडेन्सी के सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 0.4368 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 53 वृक्षों के कार्योपरान्त (Ex-Post Facto) अनुमति सम्बन्धी प्रस्ताव ऑन लाईन/ऑफलाईन प्राप्त हुआ है।

वन (संरक्षण) अधिनियम-1980 के अन्तर्गत 0.4368 हे0 हेक्टर संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 53 वृक्षों के पतन हेतु प्रस्ताव 04 मूल प्रतियों में सहमति सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। इस परियोजना से इस वन प्रभाग के अन्तर्गत किसी प्रकार का वन्य जीव प्रभावित नहीं होगा। कृपया विषयक प्रस्ताव मुख्य वनसंरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को अग्रप्रेषित करने की कृपा करें।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद बरेली में बरेली-शाहजहाँपुर मार्ग, एन0एच0-30 (पुराना एन0एच0-24), किमी0 267-268 के मध्य चैनैज 267.640, ग्राम गौसगंज सराय, तहसील फरीदपुर पर नियोजित स्टार रियेल्टी प्रा0 लि0 एवं रोहिलखण्ड प्रोजेक्टस प्रा0 लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे आवासीय कॉलोनी ओम रेसिडेन्सी के सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 0.4368 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 53 वृक्षों के कार्योपरान्त (Ex-Post Facto) अनुमति सम्बन्धी प्रस्ताव का अधोहस्ताक्षरी द्वारा भली-भाँति परीक्षण कर लिया गया है तथा यह प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम-1980 के अन्तर्गत निर्गत आदेशों व दिशा निर्देशों के अनुरूप है तथा प्रस्ताव में समस्त वांछित अभिलेख/सूचनायें संलग्न हैं।

संलग्नक:- यथोपरि 4 मूल प्रस्ताव।

भवदीय,

(भारत लाल)

प्रभागीय वनाधिकारी

वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली।

पत्रांक / 14-1, दिनांकित।

प्रतिलिपि डायरेक्टर नियोजित स्टार रियेल्टी प्रा0 लि0, सी31,32 कृष्ण जानकी पैलेस रामपुर गार्डन, बरेली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(भारत लाल)

प्रभागीय वनाधिकारी

वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली।